भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3657

जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2019 को दिया जाना है

अवसंरचना विकास कार्यक्रम

3657. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने विशाल अवसंरचना विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में अपनी परमाणु विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2018 की शुरुआत में 4.4 गीगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ छह रिएक्टर निर्माणाधीन थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) वर्तमान में संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट है, जो निर्माणाधीन परियोजनाओं (6700 मेगावाट) और प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं (9000 मेगावाट) के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ जाएगी । इसके अतिरिक्त, भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए, सरकार ने, पाँच स्थलों को 'सिद्धांतत:' अनुमोदन प्रदान किया है ।

(घ) वर्ष 2018 के आरंभ में, कुल 5300 मेगावाट (5.3 गीगावाट) क्षमता के सात रिएक्टर निर्माणाधीन थे ।

(ङ) विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	स्थान	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
गुजरात	काकरापार	केएपीपी - 3 तथा 4	2x700
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी - 7 तथा 8	2x700
तमिल नाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी - 3 तथा 4	2x1000
	कल्पाक्कम	पीएफबीआर*	500

*भाविनी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।

****